



राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के० संख्या- 28/06-07

विषय:- श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता- श्री रामाधार प्रसाद सिन्हा, मुन्ना चक, गेट नं.-18, लोहिया नगर, पटना-20 का प्राप्त आवेदन-पत्र।

30.11.2006

आवेदक को दिनांक 03.01.07 को 11.00 बजे प्रातः में स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाय एवं उनसे कहा जाय कि उपरोक्त तिथि के पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क अवश्य जमा कर दें।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

03.01.2007

आवेदक श्री शैलेन्द्र कुमार अनुपस्थित हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ा गया। आवेदन पत्र की कंडिका 10 को देखने से प्रतीत होता है कि सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना-सह अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ अपील लम्बित है, अतएव अभी आयोग के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदक यदि अपीलीय पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होंगे हैं तो वे भविष्य में आयोग के सम्मुख आ सकते हैं। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त